न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण सं. 66/2023 राजस्व वाद

1. छोगा पिता गोकल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. नारायण पिता हरलाल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. हेमराज पिता हरलाल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. बालू पिता रामा माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. हीरा पिता रामा माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. लादूलाल पिता गोकल माली गोदपुत्र चूना (चून्या) माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 एवं 188–92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत्

आदेश

दिनांक 12 -09-2024

उपस्थित :- **श्री भैरूलाल बापना व श्री विपुल बापना**
अधिवक्तागण – वादीगण
श्री छोटूलाल जाट – अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर से दिनांक 25–04–2023 को प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 , 89 व 188–92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण किया जा रहा है ।

वादीगण के वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पूर्वज गोकल , हजारी , रामा पिता जोधा माली के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की साबिक आराजियात नंबर 342 , 343 , 344 , 347 , 350 , 352 , 353 व 355 कुल किता 8 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि संवत् 2018 से 2021 की जमाबंदी में दर्ज थी । उक्त खातेदार गोकल, हजारी , रामा पिता जोधा माली एवं चून्या वल्द छोटू माली निवासी आटूण के शातलाती खाते में कुआ आराजी चाह सं. 351 तीन सौ इकावन रकबा 9 नौ बिस्वा भूमि ½ - ½ हिस्से से दर्ज थी अर्थात् ½ हिस्सा गोकल , हजारी , रामा पिता जोधा माली का व ½ हिस्सा चूना (चून्या) पिता छोटू माली का दर्ज था ।

वादीगण ने अपने वादपत्र में आगे अंकित किया कि भीलवाड़ा तहसील में नवीन बंदोबस्त के समय वादीगण के उक्त वर्णित पूर्वज श्री गोकल, हजारी , रामा पिता जोधा में से गोकल का देहान्त हो जाने से

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त वर्णित साबिक आराजियात के नवीन आराजी सं. 2213 ,2215 , 2219 , 2220 , 2221 , 2222 , 2223 , 2224 , 2225 , 2227 , 2230 , 2231 , 2232 , 2233 को हरलाल , छोगा पिता गोकल एवं हजारी , रामा पिता जोधा माली के संयुक्त खाते में फर्द इख्तलाफ सं. 61 से दर्ज की गयी एवं फर्द इख्तलाफ सं. 62 में साबिक आराजी सं. 351 जो कि गोकल , हजारी , रामा पिता जोधा व चून्या पिता छोटू के नाम पर बराबर-बराबर हिस्से से दर्ज थी उसके नवीन आराजी चाह सं. 2229 बनाये गये जिसके साथ-साथ हमारी साबिक आराजी नं. 353 के दो नवीन आराजी सं. 2204 व 2218 कायम करते हुए इन तीनों आराजियात को हरलाल , छोगा पिता गोकल एवं हजारी , रामा पिता जोधा 1/2 व चून्या पिता छोटू माली हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया गया किन्तु बाद में जब नवीन बंदोबस्त का खाता बनाया गया उस नवीन बंदोबस्त के खाते में निम्नलिखित सारी आराजियात के खाते में वादीगण के साथ-साथ मृतक चूना (चून्या) माली की पत्नी दाखी का नाम भी 1/2 हिस्से से दर्ज कर दिया गया जबकि साबिक चाह सं. 351 के 1/2 हिस्सेदार चूना माली या उसकी वारिस श्रीमती दाखी का नाम केवल नवीन आराजी चाह सं. 2229 में ही 1/2 हिस्से से दर्ज किया जाना चाहिये था । वादीगण के अधिकार आधिपत्य की नवीन आराजियात नंबर 2204 2215 , 2218 , 2219 , 2220 , 2221 , 2222 , 2223 , 2224 , 2225 , 2229 , 2230 , 2231 , 2232 , 2233 कुल किता 15 रकबा 2.4406 हैक्टेयर भूमि खाता सं. 338 में दर्ज है ।

नवीन सेटलमेंट के समय जो खसरा भूप्रबंध बनाया गया था व खसरा गिरदावरी जो संवत् 2033 तक पुराने नंबर से चलती रही उसमें वादीगण की उक्त नवीन आराजियात सं. 2215 , 2219 , 2220 , 2221 , 2222 , 2223 , 2224 , 2225 , 2229 , 2230 , 2231, 2232 व 2233 में सहीतौर से गोकल , हजारी , रामा पिता जोधा के बजाय हरलाल , छोगा पिता गोकल व हजारी , रामा पिता जोधा माली का नाम दर्ज किया गया । इस आराजियात में कहीं भी चूना (चून्या) पिता छोटू माली का नाम दर्ज नहीं था किन्तु नवीन जमाबंदी कायम करते समय इन आराजियात के साथ-साथ आराजी नं. 2204 , 2218 व 2229 को भी उक्त संयुक्त खाते में दर्ज करते हुए वादीगण का इन नवीन आराजियात किता 15 रकबा 2.4406 हैक्टेयर में भूल व सेहवन से उक्त चूना (चून्या) माली की पत्नी श्रीमती दाखी का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि दाखी का नाम केवल शामलाती कुआ सं. 2229 रकबा 0.0506 हैक्टेयर (साबिक कुआ सं. 351) में ही 1/2 हिस्से से दर्ज होना चाहिये था व नवीन खाता सं. 338 में उक्त शेष आराजियात सं. 2204 , 2215 , 2218 से 2225 व 2230 से 2233 किता 14 में केवल वादीगण का नाम ही दर्ज होना चाहिये अर्थात् इन्द्राज दुरूस्ती द्वारा उक्त वर्णित आराजियात के खाते में से आराजी चाह सं. 2229 रकबा 0.0506 हैक्टेयर को अलग करते हुए इस नवीन आराजी चाह सं. 2229 के खाते में 1/2 हिस्सा वादीगण का व 1/2

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

हिस्सा दाखी पत्नी चूना (चून्या) के गोदपुत्र प्रतिवादी सं. 1 लादूलाल पिता गोकल गोदपुत्र चूना (चून्या) का दर्ज किया जाना चाहिये और इस खाते में शेष आराजियात किता 14 चौदह रकबा 2.3900 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 1 की गोदमाता श्रीमती दाखी पत्नी चूना (चून्या) माली का नाम हटाया जाकर ये आराजियात अकेले वादीगण के नाम पर दर्ज करायी जाना आवश्यक है । इस बाबत् घोषणात्मक व इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री वादीगण के पक्ष में पारित कराया जाना आवश्यक है। स्व. चूना माली के स्वतंत्र खाते में अलग से जो आराजियात दर्ज थी उसमें प्रतिवादी सं. 1 ने चूना के गोदपुत्र की हैसियत से अपना नाम दर्ज करा लिया है। वह नवीन खाता सं. 338 में अंकित आराजियात किता 15 में दाखी के बजाय 1/2 हिस्सा अपने नाम पर दर्ज कराने पर आमादा है इसलिये उसे इस वाद में प्रतिवादी सं. 1 के रूप में पक्षकार बनाया गया है ।

उक्त वर्णित नवीन खाता सं. 338 में अंकित आराजियात किता 15 रकबा 2.4406 हैक्टेयर में इस समय श्रीमती दाखी पत्नी स्व. चूना (चून्या) का नाम सेटलमेंट या राजस्व विभाग की भूल व सेहवन से 1/2 हिस्से से दर्ज हो गया है जबकि केवल आराजी चाह सं. 2229 में ही उसका 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था व शेष आराजियात में केवल वादीगण का नाम ही दर्ज होना चाहिये था । श्रीमती दाखी का देहान्त हो जाने से उक्त वर्णित सारी आराजियात किता 15 रकबा 2.4406 हैक्टेयर में श्रीमती दाखी के बजाय प्रतिवादी सं. 1 अपना नाम 1/2 हिस्से से दर्ज कराने पर आमादा है और दर्ज कराने के बाद इन आराजियात को खुर्द-बुर्द अंतरित व भारित करने पर उतारू है और इन आराजियात किता 14 रकबा 2.3900 हैक्टेयर से वादीगण के कब्जेकाश्त में दखल कर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हो सकता है जिससे प्रतिवादी सं. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद व प्रतिबंधित कराया जाना आवश्यक है कि वह ताफैसला वाद ग्राम आटूण में स्थित नवीन खाता सं. 338 में अंकित आराजियात किता 15 रकबा 2.4406 हैक्टेयर में से आराजी चाह सं. 2229 रकबा 0.0506 हैक्टेयर को छोड़ कर शेष आराजियात किता 14 रकबा 2.3900 हैक्टेयर में दाखी पत्नी स्व. चूना (चून्या) माली के बजाय अपना नाम 1/2 हिस्से से जरिये नामान्तरकरण दर्ज नहीं करावे और इन आराजियात किता 14 में वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे और न हमको बेदखल करे और इन आराजियात को किसी भी तरह से खुर्द-बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे ।

उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादी सं. 1 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है । वादीगण की ओर से साक्ष्य में नारायण पिता हरलाल माली निवासी आटूण का शपथपत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संवत् 2018 से 2021 प्रदर्श 01 , फर्द इख्तलाफ सं. 61 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 02 , खसरा मिलान प्रदर्श 03 से 09 , खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिया प्रदर्श 10 से 16 , जमाबंदी संवत् 2069 से 2073 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 17 प्रदर्शित कराये गये ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस समायत की गयी ,पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । वादीगण के अधिवक्ता ने अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए वादीगण का वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भी उसके द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में वादीगण का वादपत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने का तथ्य अंकित किया है ऐसी परिस्थिति में वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 ,89 ,188-92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है ।

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 ,89 ,188-92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित नवीन खाता सं. 338 में अंकित आराजियात किता 15 रकबा 2.4406 हैक्टेयर में से आराजी चाह सं. 2229 रकबा 0.0506 हैक्टेयर को अलग करते हुए शेष आराजियात नंबर 2204 , 2215 , 2218 , 2219 , 2220 , 2221 , 2222 , 2223 , 2224 , 2225 , 2230 , 2231 , 2232 , 2233 कुल किता 14 कुल रकबा 2.3900 हैक्टेयर से प्रतिवादी सं. 1 की गोदमाता श्रीमती दाखी पत्नी चूना (चून्या) माली का नाम हटाया जाकर उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार अकेले वादीगण को घोषित किया जाता है । साथ ही नवीन आराजी चाह सं. 2229 रकबा 0.0506 हैक्टेयर के खाते में 1/2 हिस्सा वादीगण का व 1/2 हिस्सा दाखी पत्नी चूना (चून्या) के गोदपुत्र प्रतिवादी सं. 1 लादूलाल पिता गोकल गोदपुत्र चूना (चून्या) माली का दर्ज किया जाता है । उक्त अनुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण जारी की जाती है । तद्नुसार डिक्री की पालना करने हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है ।

प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित नवीन आराजियात नंबर 2204 , 2215 , 2218 , 2219 , 2220 , 2221 , 2222 , 2223 , 2224 , 2225 , 2230 , 2231 , 2232 , 2233 कुल किता 14 कुल रकबा 2.3900 हैक्टेयर में वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे और न वादीगण को बेदखल करे और इन आराजियात को किसी भी तरह से खुर्द-बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे । निर्णय आज दिनांक 12-9-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

उनवान

1. छोगा पिता गोकल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. नारायण पिता हरलाल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. हेमराज पिता हरलाल माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. बालू पिता रामा माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. हीरा पिता रामा माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. लादूलाल पिता गोकल माली गोदपुत्र चूना (चून्या) माली निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 एवं 188–92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत्

दावा बाबत् :– 88–89–188–92 (क) रा.टि.ए.
प्रकरण सं॰ 66/2023 राजस्व वाद
निर्णय दिनांक :– 12 –9–2024

वादीगण की ओर से उपस्थित ...अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना ...की व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री छोटूलाल जाट . की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12 –9 –2024 ..को .आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ , आई.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी) .. उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा .. के सूमक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित नवीन खाता सं. 338 में अंकित आराजियात किता 15 रकबा 2.4406 हैक्टेयर में से आराजी चाह सं. 2229 रकबा 0.0506 हैक्टेयर को अलग करते हुए शेष आराजियात नंबर 2204 , 2215 , 2218 , 2219 , 2220 , 2221 , 2222 , 2223 , 2224 , 2225 , 2230 , 2231 , 2232 , 2233 कुल किता 14 कुल रकबा 2.3900 हैक्टेयर से प्रतिवादी सं. 1 की गोदमाता श्रीमती दाखी पत्नी चूना (चून्या) माली का नाम हटाया जाकर उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार अकेले वादीगण को घोषित किया जाता है । साथ ही नवीन आराजी चाह सं. 2229 रकबा 0.0506 हैक्टेयर के खाते में 1/2 हिस्सा वादीगण का व 1/2 हिस्सा दाखी पत्नी चूना (चून्या) के गोदपुत्र प्रतिवादी सं. 1 लादूलाल पिता गोकल गोदपुत्र चूना (चून्या) माली का दर्ज किया जाता है । साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री भी जारी जाती है कि वे ग्राम आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित नवीन आराजियात नंबर 2204 , 2215 , 2218 , 2219 , 2220 , 2221 , 2222 , 2223 , 2224 , 2225 , 2230 , 2231 , 2232 , 2233 कुल किता 14 कुल रकबा 2.3900 हैक्टेयर में वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे और न वादीगण को बेदखल करे और इन आराजियात को किसी भी तरह से खुर्द–बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे ।

यह डिक्री आज तारीख 12 –9 –2024.....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा